कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)

क्रमांक :– स्था/2021/264 दिनांक :– 22, दिसम्बर 2021

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए–4(i)(a) 55/16/981 दिनांक 08.12.2021 से प्राप्त अनुमति के अनुसरण में मेड़ता न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर कुल 84 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियक्ति पर दिनांक 31.03.2022 तक अथवा रिक्त पदो के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिये सेवाएं ली जानी है।

शर्ते :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुर्ननियक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियक्ति के लिये विचार नही किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन–पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं मेड़ता न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 06.01.2022 को 05:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एलपीसी) प्रति।
3. पीपीओ की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है)

22/12/2021

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता

क्रमांक :–7127 to 7134 दिनांक :– 22, दिसम्बर 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश .....।
4. जिला कलक्टर, नागौर।
5. मेड़ता न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बंधित न्यायालय ....।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :–

2. पिता का नाम :–

3. जन्म तिथि :–

4. अर्हताएं :–

5. मूल विभाग का नाम :–

6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :–

7. अनुभव :–

8. सेवानिवृत्त के समय मूल वेतन + पे–लेवल (एल.पी.सी. संलग्न है) :–

9. मूल पेंशन राशि (पी.पी.ओ. संलग्न) :–

10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :–

11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र :–

स्थान :–

दिनांक :–

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....., जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती ..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियक्ति वचनबंध के विचार के लिये उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती ..... रूपये मासिक मूल वेतन ..... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती ..... के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नही है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील